

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2019-20

दिनांक: 27.05.19


:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमादि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	गोपी लाल गुर्जर, भीमल स्टेशन, भावली (उदयपुर)	गणित	05.02.1960	29.02.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिल्ल)।

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2019-20

दिनांक: 27.05.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा उदयपुर।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक उदयपुर।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान।
7. संबंधित कार्मिक।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर